भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2962
जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है।

जीएसटी की वसूली में अमीरों और गरीबों का योगदान

2962 श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश की निचले तबके की 50 प्रतिशत आबादी से कितना जीएसटी वसूला जा रहा है;
(ख) वर्तमान में ऊंची आय वाले 10 प्रतिशत लोगों से कितनी जीएसटी राशि प्राप्त हो रही है; और
(ग) विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) और (ग) : आय समूह-वार जीएसटी संग्रहण संबंधी डाटा अलग से नहीं रखा जाता है। तथापि, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक उपभोग आधारित कर है जो विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकल कर संरचना में समेकित करता है, जिससे कराधान प्रक्रिया सुव्यवस्थित होती है। अप्रत्यक्ष कर होने के नाते, सरकार वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं से जीएसटी का संग्रहण करता है, जो बदले में वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं से इन करों का संग्रहण करते हैं। व्यापक रूप से उपभोग होने वाली वस्तुओं पर कर भार को कम रखने के लिए, बिना पैकेज वाले खाद्यान्न, फल और सब्ज़ियों जैसी वस्तुओं और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा खाद्य तेल, जीवन रक्षक दवाइयों और उर्वरक जैसी वस्तुओं को 5% कर स्लैब में रखा गया है।

*****